प्रेस नोट

दिनाँक 28.09.2025

जनपद – संतकबीरनगर

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 19 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 159 वाहनों से 1,60,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 28.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 159 वाहनों से 1,60,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त व बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखऱ पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघठा *श्री जयप्रकाश दूबे* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 470/2025 धारा 65(1)/ 351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता रोशन पुत्र परमात्मा साकिन परसहर पूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर व 01 बाल अपचारी को भैसा बसन्तपुर मोड़ तिराहे के पास से आज दिनाँक 28.09.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 26.09.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की 02 नाबालिग पुत्रियों के साथ अभियुक्त उपरोक्त व बाल अपचारी द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला

अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए, त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 28.09.2025 को उक्त अभियुक्त व बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव, उ0नि0 श्री रामदरश यादव , हे0का0 रमेश मिश्रा, का0 अजीत गुप्ता।

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अन्तर्गत आर0पी0 यादव इण्टरनेशनल कालेज, महुली की कक्षा 08 की छात्रा प्रीति को 01 दिन के लिए थानाध्यक्ष महुली बनाया गया

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में आर0पी0 यादव इण्टरनेशनल कालेज की कक्षा 8वीं की छात्रा प्रीति को थाना महुली का एक दिन का थानाध्यक्ष बनाया गया। थानाध्यक्ष बनकर प्रीति द्वारा थाने पर उपस्थित होकर जनसुनवाई किया गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच/आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीनस्थों को आदेशित किया गया।

तत्पश्चात आर0पी0 यादव इण्टरनेशनल कालेज की छात्राओं को थाने की कार्यप्रणाली, FIR पंजीकरण की प्रक्रिया, महिला अपराधों से सम्बंधित कानूनी प्रावधान तथा 1090, 1930 व 112,1098,108,181, डायल सेवा की जानकारी दी गयी। छात्राओं को आश्वस्त किया गया कि निडर होकर अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकती हैं,पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा हेतु तत्पर है। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्राओं/बालिकाओं में अपने जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए सकारात्मक सोच विकसित करना है, जिससे वह समाज में एक सशक्त नारी शक्ति बनकर समाज के साथ समान हिस्सेदारी से मिलकर विकसित समाज बनाती हैं। बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों तथा एम्बुलेंस सेवा-1098, चाइल्ड लाइन-108, स्वास्थ्य सेवा-102, गर्भवती महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में,घरेलू हिंसा के बारे में, आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त किया।